Rashtriya Sahara-New Delhi - 21-07-2011

खालसा कॉलेज और स्कूल बने अल्पसंख्यक संस्थान

राकेश नाथ/एसएनबी

नई दिल्ली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) से जुड़े खालसा कॉलेज और स्कूल अब अल्पसंख्यक संस्थान कहलाएंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) ने डीएसजीपीसी के सभी शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया है। इसके साथ ही राजधानी के सभी खालसा कॉलेजों में 27 फीसद ओबीसी, 15 फीसद अनुसूचित जाति और 7.5 फीसद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण लागू करने की बाध्यता भी खत्म हो गई है। संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्संख्यक का दर्जा हासिल करने वाले संस्थानों को यह छूट मिलती है। अब डीएसजीपीसी के सभी चार कॉलेजों और 25 से अधिक स्कूलों में सिख विद्यार्थियों को वरीयता मिलेगी। उन्हें कॉलेजों की कटऑफ में भी पहले से ज्यादा छूट मिलेगी। इतना ही नहीं इन संस्थानों की नियुक्तियों और सेवा शर्तों में भी डीएसजीपीसी की चलेंगी। उधर, आयोग के इस फैसले के खिलाफ सेवानिवृत्त प्रो. एनएस कपूर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सोच रहे है। प्रो. एनएस कपूर वहीं शख्स हैं, जिन्होंने इन संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन बाद में इस मामले को हाईकोर्ट ने एनसीएमईआई में ट्रांसफर कर दिया था।

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग ने दिया दर्जा
- दाखिले और नियुक्तियों में अब सिखों को मिलेगी और वरीयता

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने कहा कि सालों तक अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा लेने के लिए पहले हाईकोर्ट और फिर आयोग में मामला चला। अंततः आयोग ने कमेटी के पक्ष में फैसला देते हुए प्रबंधक कमेटी के संस्थानों को अल्संख्यक का दर्जा दे दिया है। अब इन संस्थानों में दाखिले और नियुक्तियों में कमेटी के नियम चलेंगे। साथ ही सिखों को और अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि अभी यह तय किया जाना बाकी है कि कितनी वरीयता दी जाएगा। सरना ने बताया कि अब तक कॉलेजों की कटआफ में 6 से 7 फीसद की छूट सिख विद्यार्थियों को मिलती है, लेकिन अब यह छूट 8 से 10 फीसद की सकती है। दिल्ली में प्रबंधक कमेटी के चार कॉलेज एसजीटीबी खालसा, एनजीएनडी खालसा, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स और माता सुंदरी हैं। इसके अलावा 11 गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल, 4 गुरु हरकिशन मॉडल स्कूल समेत करीब 25 स्कूल व इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। डीएसजीपीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीएस वालिया ने कहा कि इन कॉलेजों में एससी-एसटी आरक्षण को लागू रखा जा सकता है, लेकिन ओबीसी आरक्षण लागू करने की कोई बाध्यता अब नहीं है। भारत सरकार के सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कानून के तहत 1971 में डीएसजीपीसी अस्तित्व में आया था। दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारे और उसके द्वारा चलाये जाने वाले सभी संस्थान अल्पसंख्यक माने जाते हैं।